




**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....  
.....भजनसिंह .....बनाम.....श्यामसिंह वगैराह.....

किस्म मुकदमा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 व संशोधित किराया नियंत्रण अधिनियम 2017  
नं. 223 सन 2022

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
10/08/22	<p>प्रार्थी भजनसिंह की और से वकील श्री देवाराम चौधरी द्वारा यह द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 व संशोधित किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.08.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> किराया प्राधिकारी (राज.जी.)वाड़मेर</p>	<p>1376 12/8/22</p>
23-08-22	<p>पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के जवाब पेश किया जा-रि-हो, पत्रावली वास्तु बहत प्रार्थीगण पत्र दिनांक 23/08/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>Undertaking Sumit 22/08/22</p>
24.08.22	<p>पत्रावली पेश हुई, उक्तप्रक्षकाराग उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थीगण-पत्र जरिफ राजीनामा विद्दी करने का पेश किया उक्तप्रक्षकाराग की</p>	<p> गुजाम Sumit</p>

लक्ष्मी के पत्रावली प्रशाम - कुमार के  
शक्ति स्वर है।

लक्ष्मी

करावा प्राधिकारी  
(प्रा.डी.ओ.) वादमेर